



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 4 जनवरी, 2022

पौष 14, 1943 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2

संख्या 32/52-2-2022-6-96 टी०सी०

लखनऊ, 4 जनवरी, 2022

अधिसूचना

प०आ०-1

वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1995) की धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, प्रो० सैयद शफीक अहमद अशरफी, विभागाध्यक्ष उर्दू, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्ण कालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करती हैं।

2-प्रो० सैयद शफीक अहमद अशरफी के वेतन का भुगतान निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश के माध्यम से उक्त विश्वविद्यालय को किया जायेगा, और उक्त विश्वविद्यालय प्रो० सैयद शफीक अहमद अशरफी को वेतन भुगतान करेगा।

3-प्रो० सैयद शफीक अहमद अशरफी को सेवानिवृत्ति से पूर्व अपने पैतृक विभाग में अपना योगदान प्रस्तुत करना होगा।

आज्ञा से,
शिवाकान्त द्विवेदी,
विशेष सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 32/LII-2-2022-6-96 T.C., dated January 4, 2022 :

No. 32/LII-2-2022-6-96 T.C.

Dated Lucknow, January 4, 2022

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 23 of the Waqf Act, 1995 (Act no. 43 of 1995), the Governor is pleased to appoint on deputation Pro. Syed Shafeeque Ahmad Ashrafi, Head of the Department Urdu, Khawaja Muinuddin Chishti Language University, Lucknow, as the full-time Chief Executive Officer of the Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board.

2. Payment of salary to Pro. Syed Shafeeque Ahmad Ashrafi shall be given through Directorate Alpsankhyak Kalyan, Uttar Pradesh to University and University will pay to Pro. Syed Shafeeque Ahmad Ashrafi.

3. Before retirement Pro. Syed Shafeeque Ahmad Ashrafi shall submit his joining in his parent department.

By order,
SHIWAKANT DWIVEDI,
Vishesh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 521 राजपत्र-2022-(1167)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 6 सा० अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ-2022-(1168)-200 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।